

# डॉ. भीमराव अंबेडकर समाज सुधारक एवं सामाजिक चिंतक का भारतीय लोकतंत्र में योगदान

**Dileep Kumar**

## सार:

अंबेडकर ने जीवन भर जातिवाद के उन्मूलन के लिए प्रयास किये हैं। उन्होंने समाज में समानता व स्वतंत्रता के लिए प्रयास किये हैं। अंबेडकर ने निम्न जाति के उत्थान के लिए कांग्रेस में महात्मा गाँधी से मतभेद उत्पन्न हो गये थे। जून 1845 में अंबेडकर ने कांग्रेस और गाँधीजी नामक लेख में दलितों के दृष्टिकोण से गाँधीजी की कटु आलोचना की थी। सन् 1946 में अंबेडकर ने अपनी पुस्तक शुद्र कौन है प्रकाशित की थी। सत्यषोधक समाज के माध्यम से निम्नवर्ग को उच्च वर्ग द्वारा उन पर किये गये शोषण के प्रति जागरूक किया। कानून मंत्री के रूप में उनका सबसे बड़ा कार्य हिंदु कोड बिल था। इस कानून का उद्देश्य हिंदुओं के सामाजिक जीवन में सुधार लाना था। स्त्रियों के लिए तलाक व्यवस्था में सुधार और संपत्ति में सुधार करके हिस्सा प्रदान करना था। अंबेडकर अपने जीवन में महात्माबुद्ध, कबीर व ज्योतिबाफूले के विचारों से प्रभावित थे। अंबेडकर की कोलंबिया विश्वविद्यालय में भारत के अंदर समाज में मानवधिकारों के लिए किए गये संघर्षों व सुधारों की सराहना की गई थी।

**शब्दकोश:** सामाजिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, अस्पृश्यता, जाति प्रथा, शिक्षा, दलित।

## प्रस्तावना:

डॉ. भीमराव अंबेडकर मूलतः एक समाज सुधारक अथवा सामाजिक चिंतक थे। वह हिन्दु समाज द्वारा स्थापित सामाजिक व्यवस्था से काफी असंतुष्ट थे और उनमें में सुधार की मांग करते थे ताकि सर्व धर्म सम्भाव पर आधारित समाज की स्थापना की जा सके। अंबेडकर ने अस्पृश्यता के उन्मूलन और अस्पृष्यों की भौतिक प्रगति के लिए अथक प्रयास किये। वे 1924 से जीवन पर्यन्त अस्पृष्यों का आंदोलन चलाते रहे। उनका हर विश्वास था कि अस्पृश्यता के उन्मूलन के बिना देश की प्रगति नहीं हो सकती। अंबेडकर का मानना था कि अस्पृश्यता का उन्मूलन जाति-व्यवस्था की समाप्ति के साथ जुड़ा हुआ है और जाति व्यवस्था धार्मिक अवधारणा से संबद्ध है। अंबेडकर ने धर्म के आधार पर किये जाने वाले भेदभाव को मिटाने के लिए हिंदु कोड बिल को पारित करवाया था। अंबेडकर ने समाज में स्त्रियों की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए स्त्री शिक्षा पर बल दिया। इनके अनुसार शिक्षा के माध्यम से ही लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बन सकते हैं।

अंबेडकर को अपने लंबे जीवन अनुभव से इस पर विश्वास हो गया था कि हिंदु धर्म में रहकर न तो छुआछूत का निवारण हो सकता है और न अस्पृश्य जातियों का उत्थान इसलिए उन्होंने हिंदु धर्म को त्यागने का विचार बना लिया था।

## भीमराव अंबेडकर के हिंदु सामाजिक व्यवस्था संबंधी विचार:

अंबेडकर समाज सुधारक व सामाजिक चिंतक थे। उनके चिन्तन का मुख्य विषय हिंदु समाज में पाई जाने वाली बुराईयाँ थी। इनको समाज में चांडाल, शुद्र, अस्पृष्य और अछूत, हरिजन नाम से संबोधित करते थे। अंबेडकर इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था को अन्यायपूर्ण, भेदभावपूर्ण मानता था और समाज में सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरा मानते थे। अंबेडकर जी के सामाजिक समाज-व्यवस्था संबंधी विचार इस प्रकार से हैं।

## वर्ण व्यवस्था सम्बन्धी विचार:

भारतीय समाज व्यवस्था का संगठन चार वर्णों के आधार पर होता है। ये चार वर्ण थे, ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र अंबेडकर चातुर्वर्णीय व्यवस्था के प्रबल आलोचक थे। इस विभाजन में शूद्रों के हितों की रक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ तक कि शूद्रों के लिए ज्ञान प्राप्ति भी वर्जित था। शिक्षा और अपनी अवस्था प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपरिहार्य है किन्तु चतुर्वर्ण व्यवस्था में शूद्रों के लिए ये दोनों ही वर्जित थे। इसी कारण से अंबेडकर ने शूद्रों की रक्षा और सेवा को अपने जीवन का ध्येय बनाया था।

**अस्पृश्यता सम्बन्धी विचार:**

भारतीय समाज में अस्पृश्यता एक ऐसा कोढ़ था जिसे दूर करना बहुत जरूरी था। अम्बेडकर अस्पृश्यता के खिलाफ थे। अस्पृश्यता अमानवीय और औचित्यरहित प्रथा थी। इसमें भारतीय समाज की एकता प्रभावित होती थी। उन्होंने धर्मशास्त्र और भारतीय साहित्य के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि अस्पृश्यता मनुष्यकृत दुर्गुण है, न कि ईश्वरीय कृति। वर्तमान में अस्पृश्यों की स्थिति बड़ी सोचनीय है। अतः उनकी सामाजिक दशा को सुधारने के लिए आर्थिक और सामाजिक प्रयत्न अपेक्षित हैं।

जाति प्रथा सम्बन्धी विचार :-

अम्बेडकर ने जाति प्रथा पर भी विचार प्रकट किये। वे ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे। वे ब्राह्मणों की उच्चता को अस्पृश्यता का कारण मानते थे। इसके कारण भारतीय समाज में एकता स्थापित करने में कठिनाई का अनुभव किया जा रहा था।

**हिंदू-कोड बिल:**

भारतीय संसद में बाबा साहब आंबेडकर ने हिंदू कोड बिल को 11 अप्रैल 1947 में संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था। बाबा साहब कहते हैं, पहला, तो ये विधेयक एक मृत हिंदू की संपत्ति के अधिकारों से संबंधित कानून को संहिताबद्ध करना चाहता है, जो बिना वसीयत के मर गया है, महिला और पुरुष दोनों। दूसरा, यह मृत वसीयतनामा की संपत्ति के विभिन्न पदानुक्रमों के बीच उत्तराधिकार के क्रम का कुछ हद तक परिवर्तित रूप निर्धारित करता है अगला विषय यह है कि ये विधेयक रखरखाव, विवाह, तलाक, गोद लेने, अल्पसंख्यक और संरक्षकता का कानून है। बाबा साहब हिंदू कोड बिल के माध्यम से न सिर्फ महिलाओं के अधिकारों, आजादी की बात कर रहे थे बल्कि जाति व्यवस्था पर भी कड़ी चोट किए।

**धर्म सम्बन्धी विचार:**

यद्यपि वह दलितों/अछूतों के नेता फिर भी हिन्दु धर्म के विचार और समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए चिन्तित रहते थे। वह चाहते थे कि हिन्दू धर्म और समाज का संगठन इस प्रकार से किया जाए कि वह विस्तृत बने और अन्य धर्मानुयाइयों को अपने में समाहित करने में समर्थ हो सके। वह हिन्दू धर्म ही नई परिस्थितियों के अनुरूप परिष्कृत करना चाहते थे, ताकि समाज के सभी वर्गों के लिए समता, स्वतंत्रता और भातृत्व का मार्ग सरल बन सके। बौद्ध धर्म विष्व के अन्य धर्मों से इस दृष्टि से अलग और विषिष्ट है कि उसका दर्शन प्रज्ञा, कर्मण्यता तथा श्रद्धा के उस त्रिपथ को निर्मित करता है, जो आज मानव संस्कृति के लिए अत्यावक है। धर्म को नैतिकता की दृष्टि में परिचालित होना चाहिए। धर्म में निर्धनता को अभिषाप नहीं समझना चाहिए। धर्म को विज्ञान के अनुकूल बनना चाहिए।

**पिक्षा सम्बन्धी विचार:-**

डा० अम्बेडकर समझते थे कि दलितों की पशुतुल्य अवस्था का एक कारण उनकी अज्ञानता और अपिक्षा है। अतः उन्होंने कहा पिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। वह ऐसी पिक्षा पद्धति के समर्थक थे, जिसमें समता निमार्ण की क्षमता है। उनकी पिक्षा का सम्बन्ध आचरण, व्यवहार, संगठन, अनुभव, अनुभूति और अभिव्यक्ति की पिक्षा से ही नहीं। उनका मानना था दलितों की पिक्षा उन्हें सरकारी नौकरियों में जाएगी, जिससे उनका आर्थिक सामाजिक स्तर ऊँचा उठेगा। इससे दलितों के साथ होने वाला भेदभाव और छुआछूत दूर होगा। वह शील एवं सदाचाराधारित पिक्षा पर आग्रह देते थे। उनका कहना था कि पिक्षा को नैतिक तथा सामाजिक स्तर को ऊँचा करने वाले गुणों से युक्त होना चाहिए।

**मनुवाद एवं ब्राह्मणवाद विरोधी:**

ब्राह्मणवाद के जहर ने हिन्दु समाज को बर्बाद किया है। हिन्दु धर्म के बारे में बाबासाहेब के ये कथन मनुवाद के अंदर की सड़ांध को सामने ले आते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार ब्राह्मणों की वजह से ही शूद्र का सबसे निम्न वर्ग में शामिल किया गया तथा मनुस्मृति समाज में ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम रखना चाहती है।

**समाज के अन्य जातियों के संबंध में सुझाव:**

अंबेडकर ने निम्न जातियों के लिए सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग की स्वतंत्रता की बात की है। अंबेडकर ने हरिजन शब्द का प्रयोग का विरोध किया है। अंबेडकर ने समाज में निम्न के उत्थान के लिए तीन शब्दों के प्रयोग पर बल दिया है। पिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो इन तीन शब्दों के माध्यम से अंबेडकर निम्न जातियों का उत्थान करने का प्रयास करते हैं।

**असमानता दूर करने के लिए अंबेडकर के सुझाव:**

सामाजिक समानता के पक्षधर— अंबेडकर ने लंबे समय तक उनके साथ होने वाले भेदभाव को सहन किया था। इसलिए वह समाज में समानता के पक्षधर थे और समानता का स्वरूप राजनीतिक कानूनी होने पर बल दिया था। वह राजनीतिक समानता से पहले सामाजिक

समानता की बात करते हैं। अंबेडकर फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो के सामाजिक, समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व के विचारों से काफी प्रभावित थे और समाज में पाये जाने वाले हर प्रकार के शोषण व असमानता को खत्म करना चाहते थे।

### असमानता के उन्मूलन हेतु अछूतों के जीवनसुधार की भावना पर बल:

अंबेडकर ने इस बात का अनुभव कर लिया था कि दलित समाज के मुख्य भाग से बाहर रहते हैं। गंदे वस्त्र पहनते हैं मुर्दा जानवरों का मांस खाते हैं इसलिए समाज से बाहर हीनता का जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए इनको समाज में अधिकार प्राप्त करने के लिए अपनी जीवन-शैली और खान-पान में सुधार करना होगा। इसलिए 20 मार्च 1927 को अंबेडकर ने दलित जाति परिषद की अध्यक्षता करते कहा कि ऐसे प्रयास करो जिससे तुम्हारे बाल-बच्चे तुमसे अच्छी अवस्था में रह सकें। अंबेडकर महिला अधिकार व शिक्षा पर भी बल देते थे।

### दलितों के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग:

अंबेडकर दलित राजनीति के जनक माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले दलितों के लिए राजनैतिक अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने ही भारत के भावी संविधान के निर्माण के सम्बन्ध में लन्दन में 1930-32 में हुए गोलमेज सम्मलेन में दलितों को एक अलग अल्पसंख्यक समुह के रूप में मान्यता दिलाई थी और अन्य अल्पसंख्यकों मुस्लिम, सिख, ईसाई की तरह अलग अधिकार दिए जाने की मांग को स्वीकार करवाया था।

### निष्कर्ष :

इस प्रकार से अंबेडकर ने अपने सामाजिक विचारों में निम्न जातियों के लिए अधिकारों की आवाज उठाई। सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग पर बल दिया, स्त्री शिक्षा व अधिकार व समाज में पाई जाने वाली असमानता, शोषण की समाप्ति पर अत्यधिक बल दिया।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. इंडियन लेबर पार्टी का मैनीफैसटो।
2. टनिता कुमारी (संपादक) अंबेडकर ने कहा गौतम बुक सेन्टर, दिल्ली
3. डा. बी. आर अंबेडकर, पाकिस्तान ऑफ इंडिया
4. विजय कुमार पुजारी, डा. अंबेडकर : जीवन दर्शन, गौतम बुक सेन्टर, दिल्ली
5. सिन्हा, राकेश के, गाँधी, अंबेडकर और दलित, जयपुर भारत : आदि.
6. के. अल. शर्मा 1986 जाति वर्ग और सामाजिक आंदोलन, जयपुर भारत: रावत।
7. खान, ममताज अली 1995 मानव अधिकार और दलित, नई दिल्ली, भारत
8. जतवा, डी.आर 1998 भारत में सामाजिक न्याय, जयपुर, भारत: आई.एन.ए.श्री
9. धनंजय कीर, डॉ. बाबा साहब अंबेडकर : जीवन चरित, पापुलर प्रकाशन, पुनर्मुद्रण, 2006
10. एम.वी. पायली, कांस्टीट्यूशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया